भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1440

दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण विज़न

†1440. श्री तापिर गावः

श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण विज़न (2026-2029) को कार्यान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही इसके मुख्य ध्यानाकर्षण क्षेत्र क्या हैं;

(ख) इस विज़न के अंतर्गत तैयार की गई कार्य योजना का असम और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण विज़न के अंतर्गत देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में क्षमता-निर्माण या जागरुकता कार्यक्रम चलाए हैं;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ली सहित ज़िलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रशिक्षित किए गए छात्रों, शिक्षाकों और विधि प्रवर्तक कर्मियों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): दिनांक 26.06.2026 को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती का प्रभावी समाधान करने के उद्देश्य से "मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)" जारी किया गया। इस विजन डॉक्यूमेंट का क्रियान्वयन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसी के लिए निर्धारित कार्रवाई-बिंदुओं तथा समय-सीमा के अनुरूप किया जाना है। विजन डॉक्यूमेंट में फोकस वाले निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं:-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1440, दिनांक 28.07.2026

(i) प्रवर्तन (आसूचना एवं संचालन)

(ii) प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स कण्ट्रोल

(iii) डिमांड एवं हार्म रिडक्शन

(iv) क्षमता निर्माण तथा समन्वय

(ख): असम और आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन योग्य कार्रवाई-बिंदुओं तथा उनकी समय-सीमा का विस्तृत उल्लेख विजन डॉक्यूमेंट में किया गया है। साथ ही, यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्य तथा जिले, विजन डॉक्यूमेंट में उल्लिखित राष्ट्रीय रोडमैप के अनुरूप मादक पदार्थ नियंत्रण हेतु अपना तीन वर्षीय रोडमैप तैयार करेंगे।

(ग) और (घ): मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) क्षमता निर्माण, जन-जागरूकता तथा निवारक पहलों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें राज्यों, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) तंत्र के माध्यम से अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा, डिमांड एवं हार्म रिडक्शन के तहत विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों तथा समुदायों में व्यापक जन-जागरूकता और निवारक पहलों के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) को सुदृढ़ करना है तथा इसके तहत जन-जागरूकता अभियान, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, मादक पदार्थ-मुक्त परिसरों को बढ़ावा देना, छात्र कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहमति-आधारित स्क्रीनिंग, मादक पदार्थ-रोधी समितियों की स्थापना, मादक पदार्थ-रोधी अधिकारियों की नियुक्ति तथा विद्यार्थियों की शीघ्र पहचान, परामर्श और रेफरल के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना शामिल है।

(ङ): विजन डॉक्यूमेंट में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में विधि प्रवर्तन अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यार्थियों तथा न्यायिक अधिकारियों को जागरूक बनाने (सेंसिटाइजेशन) की परिकल्पना की गई है।
